

परिशिष्ट- चार (ख)

(सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

(250/- के नानज्युडशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी..... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक F 21-01/2017/9/55-4 "छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2017....." को भली भांति पढ़कर समझ लिया है।
2. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूँ।
3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूँ कि :-

(क) यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत मेरे द्वारा प्रवेशित सीट (जो लागू न हो उसे काट दिया जावे) –

(i) (पैरा क्लिनिकल एवं क्लिनिकल) से त्याग पत्र देने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना सीट पाठ्यक्रम के मध्य में परित्याग करने या परिषद द्वारा निर्धारित अनधिकृत अवधि तक अनुपस्थित रहने पर **अनारक्षित अभ्यर्थी को रु. 50 लाख तथा आरक्षित अभ्यर्थी को रु. 40 लाख** तथा प्रदाय **स्टायपण्ड की राशि** (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

(ii) (प्रि-क्लिनिकल) से त्यागपत्र देने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना सीट पाठ्यक्रम के मध्य में परित्याग करने या परिषद द्वारा निर्धारित अनधिकृत अवधि तक अनुपस्थित रहने पर बंधपत्र अनुसार **अनारक्षित अभ्यर्थी को रु. 20 लाख तथा आरक्षित अभ्यर्थी को रु. 15 लाख** तथा प्रदाय किये गये **स्टायपण्ड की राशि** (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

(ख) मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि पाठ्यक्रम अवधि के दौरान यदि मुझ पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा मुझे महाविद्यालय से निष्कासित किया जाता है तो भी उपरोक्त कंडिका में वर्णित राशि शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

(ग) उक्त राशि के भुगतान करने के पश्चात् ही मेरे द्वारा प्रवेश के समय महाविद्यालय प्रशासन में जमा किये गए मूल प्रमाण पत्र मुझे वापस प्रदाय किये जायेंगे।

(घ) यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(ङ) यह कि प्रवेश नियम की कंडिका 11- सीट परित्याग/निष्कासन उक्त नियम लागू होंगे।

आवेदक
का फोटो

गवाह नं 1
का फोटो

गवाह नं 2
का फोटो

गवाह:-

1.....हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

आवेदक / निष्पादनकर्ता

2..... हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

में पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी उपरोक्तानुसार बन्धपत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्धपत्र
के उल्लंघन की दशा में बन्धपत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर
प्रतिभूतिकर्ता